प्रवीर कुमार
आई.ए.एस.
अध्यक्ष

स्पीडपोस्ट

सी-125/गोपन-289/2013-14

अ0 शा0 पत्र सं0 ~~/पी.एस./अध्यक्ष-2016-17~~
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, (एम०सी०)
लखनऊ-226001
फोन : 0522-2620482
फैक्स : 0522-2620479

दिनांक 05.5.2017

प्रिय महोदय,

आप अवगत है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 समाप्त हो गया है और आई0ए0एस तथा पी0सी0एस अधिकारियों की उक्त वर्ष के कार्य एवम् आचरण पर वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां देय हो गयी है। कृपया अपने जिले में राजस्व प्रशासन के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कार्यरत उक्त सभी अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां जिन्होने उक्त वित्तीय वर्ष में कम से कम तीन माह तक कार्य किया हो, को मण्डलायुक्त के माध्यम से परिषद् को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान शासनादेश संख्या 36/I/1976-कार्मिक–2, दिनांक 6–1–90 की ओर दिलाना चाहूंगा जिसके अनुसार निर्धारित समय सारिणी के अन्तर्गत प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी तथा स्वीकर्ता अधिकारी अपना अपना मन्तव्य क्रमशः 31 मई, 30 जून और 31 जुलाई तक अंकित कर दें। गोपनीय प्रविष्टियां अंकित करने के समय शासन द्वारा निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता इंगित की है:–

1– प्रविष्टियों पर अधिकारियों का पूरा नाम, पदनाम, भर्ती का वर्ष/स्रोत, आई0डी0 संख्या तथा कार्यकाल का उल्लेख किया जाए।

2– आई0ए0एस0 अधिकारियों के कार्य पर प्रविष्टियां मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 3957/दो–5–2007–7/3/2003, दिनांक 16.11.2007 तथा शासनादेश संख्या 131/जी0आई /दो–5–07/3/03, दिनांक 08–06–07 तथा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 2593/दो–5–07–07 /3/03, दिनांक 24–07–07 में निर्धारित प्रपत्र तथा अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराये गये स्थान पर अंकित की जाये तथा इसके अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न न किये जायें। आई0ए0एस अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट को वर्ष 2014–15 से आनलाइन किये जाने हेतु आई0ए0एस अधिकारियों को डिजिटल सिग्नेचर सार्टिफिकेट जारी कर वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट की ई–फाईलिंग के लिये http//sparrow.eoffice.gov.in उपलब्ध करा दी गयी है, जिस पर प्रत्येक अधिकारी को अपना एन0आई0सी द्वारा उपलब्ध कराये गये ई–मेल आई0डी/पासवर्ड द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।
शासनादेश संख्या 166/दो–5–2014–7/3/2003टी0सी दिनांक 17

अप्रैल 2014 द्वारा यह भी अवगत कराया जा चुका है कि यदि किसी अधिकारी की एन0आई0सी0 की ई–मेल आई0डी कियाशील नहीं है तो पूर्व में बताई गयी प्रकिया के अनुसार अथवा आनलाइन http//sparrow.eoffice.gov.in के माध्यम से एन0आई0सी0 ई0मेल आई0डी को कियाशील किया जा सकता है। नियुक्ति विभाग द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में विस्तृत दिशा–निर्देश भी उक्त परिपत्र में दिये गये हैं।

3– यदि प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा प्रदत्त ग्रेडिंग को समीक्षक अधिकारी द्वारा उच्च (अपग्रेड) अथवा निम्न(डाउन ग्रेड) किया जाता है, तो उसका पर्याप्त औचित्य दिया जाना अपरिहार्य होगा। उक्त व्यवस्था स्वीकर्ता अधिकारी के सम्बन्ध में भी लागू होगी। सन्दर्भित शासनादेश संख्या–36/I/78–का–2, दिनांक 26–2–79 समसंख्यक शासनादेश दिनांक 28–3–83 तथा 5–3–93 द्वारा शासन ने संशोधित कर दिया है।

4– शासनादेश संख्या 36/I/78–का–2/06, दिनांक 12–6–06 के माध्यम से उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके द्वारा सम्पादित कार्य एवम् आचरण के सम्यक् आकलन के आधार पर जो शब्दावली वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के रूप में अंकित की जाये, उसी के अनुरूप ग्रेडिंग भी की जाये ताकि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अंकित शब्दावली तथा अंकित ग्रेडिंग में नितान्त साम्यता रहे।

5– उक्त के साथ साथ शासनादेश संख्या 177/दो–2–2012–19/2/(26)/11, दिनांक 16–1–12 तथा 1060/दो–7–2012, दिनांक 17–4–12 के माध्यम से पी0सी0एस संवर्ग में 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अधिकारियों से वार्षिक चरित्र प्रविष्टि दिये जाने हेतु स्वमूल्यांकन आख्या के साथ निर्धारित प्रारूप में वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट अनिवार्यतः प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः उपरोक्तानुसार आपसे अनुरोध है कि इस पत्र की प्रति अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुये उनकी स्वमूल्यांकन आख्या प्राप्त करके अपने मन्तव्य के साथ मण्डलायुक्त को दिनांक 30–6–2017 तक अवश्य उपलब्ध करा दें ताकि दिनांक 15–7–17 तक मण्डलायुक्त के मन्तव्य परिषद् को प्राप्त हो जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवन्निष्ठ,

(प्रवीर कुमार)

समस्त जिलाधिकारी(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रिय महोदय,

उपरोक्त की प्रति आपके पास इस अनुरोध के साथ भेजी जा रही है कि आप कृपया अपने मण्डल के अपर आयुक्तगण तथा जनपदों में राजस्व प्रशासन में कार्यरत सभी अधिकारियों की वर्ष 2016–17 की प्रविष्टियां निर्धारित समय के अनुसार पूर्ण कराकर अपने प्रतिवेदक/समीक्षण मन्तव्य सहित परिषद् को दिनांक 15–7–17 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सादर

भवन्निष्ठ,

(प्रवीर कुमार)

समस्त मण्डलायुक्त(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0सदस्यगण/आयुक्त एवम् सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– निजी सचिव, सदस्यगण(न्यायिक),राजस्व परिषद्,उत्तर प्रदेश, लखनऊ /इलाहाबाद ।

3– विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग–5/7, लखनऊ।

4– समस्त अपर सचिव/उप भूमि व्यवस्था आयुक्त/अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त,लेखा, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5– निदेशक, भूमि अध्याप्ति,राजस्व परिषद्,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6– निदेशक, राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवम् भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई।

7– समस्त प्रभारी अधिकारी/निबन्धक/अनुभाग अधिकारी, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ/इलाहाबाद।

8– प्रभारी कम्प्यूटर सेल, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस परिपत्र को परिषद् की वेबसाइट पर डालने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त

महेन्द्र सिंह
पी0सी0एस0
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त

स्पीड पोस्ट

अ0 शा0 पत्र सं0 सी-126/गोपन-289/2013-14(एम0सी0)
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश,
अनुभाग गोपन लखनऊ
दिनांक 05.5.2017

प्रिय महोदय,

आप अवगत है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 समाप्त हो गया है तथा राजस्व प्रशासन में कार्यरत सभी आई0ए0एस तथा पी0सी0एस अधिकारियों की उक्त अवधि में वार्षिक प्रविष्टियां देय हो गयी हैं। वार्षिक प्रविष्टियों को पूर्ण कराये जाने के उद्देश्य से परिषद् के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या सी–125/गोपन–289/2013–14(एम.सी.), दिनांक 05.5.17 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत भी किये जा चुके हैं। परिषद् द्वारा वार्षिक प्रविष्टियों के अंकन के अनुश्रवण हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यरत रहे अधिकारियों के सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 15–6–17 तक सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवन्निष्ठ,

(महेन्द्र सिंह)

समस्त जिलाधिकारी(नाम से)
उत्तर प्रदेश

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रिय महोदय,

उपरोक्त अर्द्धशासकीय पत्र की प्रतिलिपि आपके पास इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संलग्न प्रारूप में मण्डलायुक्त कार्यालय में कार्यरत रहे अपर आयुक्तगण से संबंधित सूचना दिनांक 15–6–17 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:–प्रपत्र।

भवन्निष्ठ,

(महेन्द्र सिंह)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त

समस्त मण्डलायुक्त(नाम से)
उत्तर प्रदेश।